



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या- न0नि0-50-58/2021.1919.....
प्रेषक,

संजय कुमार
विशेष कार्य पदाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
बिहार राज्य।

(शिवहर, जहानाबाद, अरवल, सुपौल, लखीसराय, मुंगेर एवं जमुई को छोड़कर)

पटना, दिनांक-23.5.22

विषय :- नवगठित नगर निकायों (नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) का गठन।

प्रसंग :- राज्य निर्वाचन आयोग को पत्रांक-1427 दिनांक-11.04.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त से वार्ड गठन/परिसीमन अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त इसको जिला गजट में प्रकाशित करना अनिवार्य है। वार्ड परिसीमन/गठन का जिला गजट के प्रकाशित होने के उपरान्त मूल अभिलेखों की प्रतियाँ आयोग को उपलब्ध कराया जाना है। इस निमित्त पत्र के साथ एक चेक लिस्ट प्रपत्र संलग्न की जा रही है ताकि प्रतिवेदन के साथ प्रेषित किये जाने वाले अभिलेखों से संबंध में स्पष्टता रहे।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/05/22
विशेष कार्य पदाधिकारी

Chek list for Final report from District after Gazette Notification

क्र०सं०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	क्या प्रतिवेदन के साथ अंतिम प्रपत्र-06 मूल हस्ताक्षरित (Original ink) में संलग्न है ?	क्या अंतिम प्रपत्र (प्रपत्र-06) पर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है ?	क्या प्रतिवेदन के साथ जिला गजट (मूल) की प्रति संलग्न है ?	क्या प्रतिवेदन के साथ नक्शा ट्रेस पेपर/Mapping Paper/ कपड़े पर यथोचित रूप/मूल रूप में संलग्न है ?	क्या नक्शा सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित है ?
1	2	3	4	5	6	7	8

जौंचकर्त्ता पदाधिकारी का हस्ताक्षर –

नाम—

पदनाम—